



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 2063, वर्ष 2026

मोहम्मद जीशान उर्फ बाबू उर्फ छोटू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार(गण)

—

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

सैयद रज़ा मेहंदी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह ज़मानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1 वर्ष 2026 में ज़मानत की माँग करते हुए दायर की गई है, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, पुलिस थाना- संगीपुर, ज़िला- प्रतापगढ़ में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दो मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें वह ज़मानत पर है। ज़मानत आदेश, ज़मानत अर्जी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक-3 के रूप में अभिलेख पर उपस्थित हैं। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त, आवेदक का 9 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास भी है, जिनका ज़मानत अर्जी के अनुच्छेद 8 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक दिनांक 4.2.2026 से जेल में है।

यह भी प्रस्तुत है कि आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षितों के साथ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

इन तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद कि आवेदक 4.2.2026 से जेल में है; आवेदक को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

तदनुसार, ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार की जाती है।

आवेदक—**मोहम्मद जीशान उर्फ बाबू उर्फ छोटू**, जो उपर्युक्त आपराधिक वाद /प्राथमिकी संख्या में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए; ये ज़मानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार होने चाहिए और यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, जो न्याय के हित में लगायी जा रही हैं :-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) आवेदक विचारण के समय साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) आवेदक को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह यह आश्वासन देगा कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी भी प्रकार के स्थगन की माँग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(b) की आवश्यकता के अनुसार एक वचन-पत्र भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह यह वचन देगा कि वह किसी भी प्रकरण में संलिप्त नहीं होगा और न ही ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

31 मार्च, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।